जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 05.06.2024

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 04 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ डीजल, चोरी में प्रयुक्त वाहन व अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 05.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 04 चोरों को चोरी किये हुए 200 लीटर ड़ीजल, चोरी में प्रयुक्त वाहन व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 04.06.2024 को वादी अजीज पुत्र हफीज निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के ट्रक की टंकी से अज्ञात चोरो द्वारा ड़ीजल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थीं। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.शाकिर पुत्र लिल्ला निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

2.आकिब पुत्र ईनाम निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

3.इमरान उर्फ काला पुत्र भूरा निवासी मौहल्ला सुभाषपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

4.अनवार उर्फ अन्नू पुत्र मतीन निवासी ग्राम दहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक अवैध छुरा।

3.चार जरीकैन जिनमें 200 लीटर ड़ीजल व दो खाली जरीकैन।

4.चोरी में प्रयुक्त वाहन मारुति SX4 रजि0नं0 UP14BJ4091

5.चोरी करने के उपकरण (02 पाईप, 02 पेंचकस, 01 प्लास, 01 पाईपरिन्च, 01 एल-की।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 05.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2017 में अभियुक्त जयवीर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बांध थाना इसराना जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1269/2017 धारा 323/332/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1.जयवीर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बांध थाना इसराना जनपद पानीपत हरियाणा।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>